



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

2026:RJ-JD:14250

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2099/2026

Ramniwas S/o Shri Kesar Ram, Aged About 19 Years, Resident Of Ward Number 20 Near Adarsh Bal Niketan School Iti Colony Hanumangarh Junction Ps Hanumangarh District Hanumangarh (Presently Lodged At District Jail Hanumangarh)

-----Petitioner

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Pp
2. Pooja W/o Shri Lekhraj, Resident Of Ward Number 19 Durga Colony Hanumangarh Junction District Hanumangarh

-----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Vipin Makkad
For Respondent(s)	:	Mr. Hanuman Prajapati, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

27/03/2026

01. प्रत्यर्थी संख्या 2 की तामील पूर्ण हो चुकी है परंतु प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

02. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., महिला थाना हनुमानगढ़, जिला हनुमानगढ़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23/2026, अपराध अन्तर्गत धारा 78(2), 351(2) बी.एन.एस. व धारा 11, 12 पोक्सो एक्ट के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

03. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

04. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी-अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। इस मामले में मुख्य रूप से पीछा करने और धमकाकर बातचीत करने के लिए कहने का प्रार्थी-अभियुक्त पर आरोप लगाया है। कोई गलत काम या छेड़छाड़ करने का आरोप प्रार्थी-अभियुक्त पर नहीं लगाया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।



05. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
06. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली व पीड़िता के धारा 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों का अवलोकन किया गया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है।
07. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
08. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **रामनिवास पुत्र केसर राम** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J